134

कार्यालय कलेक्टर जिला धार
शाखा R. M.
11 JUN 2004
अधीक्षक कलेक्टर

R-747-I/2004

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

जगन्नाथ पिता अबाराम जाति अहीर, धंधा खेती,
निवासी ग्राम पचलाना, तहसील व जिला धार --- प्रार्थी

बनाम

मदनराव पिता रामभाऊ ब्राह्मण, निवासी ग्राम
लसूड़िया, तहसील व जिला धार (म०प्र०) --- विपक्षी

निगरानी अर्जी धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं० के तहत

RL-4526
21/6/04

माननीय न्यायालय,

सेवा में प्रार्थी की ओर से, न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इंदौर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक १७७/२००२-२००३ में पारित आदेश दिनांक २५-३-२००४, जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थी- अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील निरस्त कर दी, से दुखी व असंतुष्ट होकर यह निगरानी नकल के दिन (३१-३-२००४ से २६-४-२००४) के दिन गुजरते, अंदर अवधि, अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

124
21/6/04

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.निगरानी 747-एक/2004

जिला-धार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 21-2-2018 | आवेदक अधिवक्ता निगरानी प्रस्तुत करने के उपरांत से आज दिनांक तक अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-3-2004 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित पाया है कि आवेदक का अनावेदक की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा है। नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक का कब्ज़ा दिलाये जाने का आदेश देने में न्यायसंगत कार्यवाही की है और दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखते हुये अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है अत: अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |